संख्या-11/2501/30-3-13-12बी/2012

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 12 नवम्बर, 2013

विषय- परिवहन विभाग में हेल्पलाइन की स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-1706ए/2013, दिनॉक 20-08-2013 एवं पत्र संख्या-2239ए/ 2013 दिनॉक 28-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य के लिए और अधिक सुलभ बनाने तथा सेवाओं को बढ़ाने हेतु सुझावों आदि को त्वरित गति से प्राप्त करते हुए सेवा से जुडी हुई समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) में भारत संचार निगत लिमिटेड के माध्यम से 03 सीटों के कालसेंटर/हेल्पलाइन की स्थापना हेतु रू0 10,09,800/-(रू0 दस लाख नौ हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-03-2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन पर व्यय में मितव्ययिता का ध्यान रखा जाएगा।

(3) इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था-भारत संचार निगम लिमिटेड को वास्तविक रूप से हुए व्यय का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

(4) धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) हेल्पलाइन की उपयोगिता की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-08-कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0सं0-ई-9-453/दस-2013, दिनॉक 11-11-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संजय कुमार उपाध्याय)

उप सचिव।

संख्या-11/2501(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- भारत संचार निगम लि0, के सक्षम प्राधिकारी को द्वारा परिवहन आयुक्त।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in